व्याकरण : शब्द भंडार

*** शब्द :**

अक्षरों के सार्थक गठन को शब्द कहते हैं, जब एक या एक से अधिक अक्षरों का संयोजन किसी विशेष अर्थ को इंगित करता है, तब उसे शब्द कहा जाता है। वैसे शब्दों की रचना ध्वनि एवं अर्थ के मेले से होती है, इस प्रकार एक अथवा अधिक वर्णों से बनी स्वतन्त्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है जैसे-कमला, आम, अमरूद, आलू, आ, घर जा, धीरे, परन्तु, कछुआ आदि। शब्द मूलत: ध्वन्यात्मक होंगे अथवा वर्णात्मक। व्याकरण में वर्णात्मक शब्दों को महत्त्व दिया जाता है।

प्रत्येक शब्द अपने प्रतीक अर्थों को ग्रहण करता है, जो प्रचलित रूढ़ प्रयोगों पर आश्रित रहते हैं। शब्द के पृथक्-पृथक् अक्षर का, शब्द के अर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं रहता लेकिन उसके यौगिक रूप का प्रतीकार्थ एक निश्चित अर्थ को ग्रहण कर लेता है, जैसे- 'कमल' शब्द का अर्थ है एक फूल विशेष, किन्तु क + म + ल शब्दों के अलग-अलग रूपों का कमल से कोई सम्बन्ध नहीं है। स्पष्ट है कि- अक्षरों का गठन किसी विशिष्ट और निश्चित अर्थ को सूचित करने के लिए शब्दरूप में होता है।

भाषा स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील है, समयानुसार विश्वजनीन समस्त भाषाओं के रूप परिवर्तित होते रहते हैं। संस्कृत के अनेक शब्द पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश से मार्ग तय करते हुए हिन्दी में आए। इनमें कुछ शब्द यथावत् हैं तथा कुछ देशकाल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं, बदल गए हैं। जो शब्द पूर्णरूपेण अपरिवर्तित रहे हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। परिवर्तित शब्द तद्भव कहलाते हैं, कुछ देशज होते हैं तथा कुछ विदेशी शब्दों को भाषा में ग्रहण कर लिया जाता है आदि। इस प्रकार भाषा के शब्दों का संयोजन अनेक प्रकार से होता है।

भाषा के शब्द-कोश नित्य प्रति समृद्धता की ओर विकसित होता है। जैसे-जैसे भाषा का व्यवहार-परिवेश विस्तृत बनता जाता है, वैसे-वैसे ही भाषा नवीन शब्दों को अपनाती जाती है। हिन्दी में भी आज सीमित-क्षेत्र में आबद्ध होकर रह जाए। जिन भाषाओं में नए-नए शब्दों का संयोजन रुक जाता है, वह भाषा धीरे-धीरे मृत प्राय हो जाती है। ब्रजभाषा इसी प्रकार की एक पूर्ण समृद्ध भाषा थी, जो अपने सीमित-क्षेत्रीय शब्दों की प्राचीरों में ही बँधी रही, संस्कृत भाषा भी कालान्तर में अपने चरम विकास-बिन्दु पर आकर रुक गई फिर धीरे-धीरे विघटित होने लगी और फिर मृत प्राय मानी जाने लगी जबकि इसमें आज भी गतिशीलता बनी हुई है। मैथिली और भोजपुरी आज की जीवन्त-भाषाएँ हैं।

हिन्दी में प्रयुक्त शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है-

(क) मूल स्त्रोत एवं विकास के आधार पर

(ख) अर्थ के आधार पर

(ग) रचना (व्युत्पत्ति) के आधार पर

(घ) व्याकरण में प्रयोग के आधार पर

(क) मूल स्त्रोत एवं विकास के आधार पर शब्द भेद : मूल स्त्रोत अथवा उद्गम के आधार पर, इस दृष्टि से हिन्दी के शब्दों को छ: भेदों में विभाजित किया गया है-

1. तत्सम 2. अर्द्धतत्सम 3. तद्भव 4. अनुकरण वाचक 5. देशज 6. विदेशज

तत्सम का शाब्दिक अर्थ है - उसके समान। यह शब्द संस्कृत भाषा से निस्सृत शब्दों के लिए ही विशेष रूप से प्रचलित हैं, संस्कृत शब्दों का मूल रूप जो हिन्दी ने अपना लिया, उसे तत्सम कहा जाता है। तत्सम का अर्थ है- 'उसके समान', तत् (तस्य) उसके, संस्कृत के, सम = समान।

इन संस्कृत के आगत अविकृत शब्दों की संख्या हिन्दी में विद्वान लगभग 45 प्रतिशत मानते हैं। जब से

हिन्दी को भारत वर्ष की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तब से इसमें संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक बढ़ गया है। भारतवर्ष के संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हिन्दी का मूलस्त्रोत संस्कृत है। अरबी अथवा फारसी नहीं। परिणामस्वरूप भारतवर्ष में सरकारी अधिष्ठानों के नाम, यातायात-सम्बन्धी सुचिकाएँ, यान्त्रिक-नामकरण, भूगोल, प्राणिशास्त्र आदि नामाभिधान में हमको संस्कृत के शब्दकोश की ही शरण लेनी पड़ती है। इस प्रकार संस्कृत/तत्सम शब्दों का आधिक्य भाषा को समृद्ध करता रहा है। हिन्दी में प्रयुक्त कुछ तत्सम शब्द इस प्रकार हैं- अधीन, अध्यक्ष, अज्ञान, आक्रमण, आश्रम, दधि, दुग्ध, देवता, दान, धूम्र, धातु, नगर, नवयुवक, प्राप्त, पिता, बन्धु, बुद्धि, भक्ति, भ्राता, आम्र, उष्ट्र, शलाका, सपली, रक्तकमल आदि।

भाषा में कुछ विदेशी शब्द इतने प्रचलित हो जाते हैं कि उनके स्थान पर अपनी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का आरोपण भाषा को जटिल और अस्वाभाविक बना देता है। जैसे-माचिस, रेल, लालटेन, कैमरा, बल्ब, साइकिल, सिगनल, बालपैन, टिकिट, पैन, पेंसिल, आलपिन, निव आदि। शब्दों के लिए यदि संस्कृत के कोश को खोलकर, नए-नए शब्द लादे जाएँगे, तो वे भाषा के सरल प्रवाह में पच नहीं पाएँगे। इसके अतिरिक्त वे शब्द इतर भाषा-भाषियों के लिए भी अभिव्यक्ति की दुरूहता उत्पन्न कर देंगे। इस प्रकार भाषा प्रेम के बलात्-आरोपण की संकीर्णता को कभी पनपने नहीं देना चाहिए, इससे भाषा का जन-प्रसारण की दृष्टि से बड़ा अनिष्ट सिद्ध होता है।

*** तद्भव :**

जो शब्द मूलरूप से संस्कृत के हैं, किन्तु किंचित् रूप परिवर्तन के साथ हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों को प्रयोग की सुविधा और उच्चारण के सरलीकरण हेतु, हम जो स्वरूप प्रदान करते हैं, वे ही तद्भव शब्द कहे जाते हैं।

हिन्दी में प्रयुक्त बहुत-से ऐसे तद्भव शब्द हैं, जो संस्कृत और प्राकृत से आए हैं, इन्हें तद्भव कहा जाता है, कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं-

अँधेरा, आधा, ऊँचा, खीरा, खेत, ग्राहक, दही, सावन, धीरज, धान, कान, मौंह, नाक, हाथी, आठ, साँ, बहू, दूध, ईख, सात, आज माथा, साँस, उँगली, अँगूठा।

*** अर्द्धतत्सम :**

जो शब्द संस्कृत अथवा प्राकृत से निस्सृत होकर कुछ ही परिवर्तन के साथ हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें उर्द्धतत्सम शब्द कहते हैं। इनका परिवर्तित रूप तत्सम शब्द की अपेक्षा कुछ कम होता है, तत्सम शब्दों की तुलना में उर्द्धतत्सम शब्द अपने मूल शब्द से अधिक निकट जान पड़ते हैं तथा पूर्ण रूपेण तत्सम नहीं होते।

तत्सम, अर्द्धतत्सम तथा तद्भव शब्द में अन्तर इस प्रकार है-

तत्सम	**अर्द्धतत्सम**	**तद्भव**
कर्म	करम	काम
अक्षर	अच्छर	अखर
अग्नि	अगिन	आग
कार्य	कारज	काम

*** अनुकरण-वाचक :**

कल्पित ध्वनि के आधार पर जिन शब्दों का गठन होता है, उन्हें अनुकरण वाचक शब्द कहते हैं। जैसे-फड़फड़ाना, चहचहाना, भनभनाहट, धमाका, गड़गड़ाहट, कैं-कैं, चैं-चैं, पैं-पैं, भैं-भैं, कू, कू, काँव-काँव, पटाका, चिल्लाना आदि। कुछ शब्द मूलशब्द के साथ भी किंचित् परिवर्तन से उसके समीपार्थ को प्रकट करते हैं, यथा- अंग्रेज = अँग्रेजी, हिन्दी = हिन्दी, फारस = फारसी, रूस = रसिया, रूसी आदि। कुछ अनुकरणात्मक शब्द निरर्थक होते हुए भी सहशब्द की सार्थकता में सहायक होते हैं, उन्हें भी अनुकरणवाची शब्द कहते हैं। जिस प्रकार छेड़-

छाड़, फटफटिया, चमचम, टर्राना, खट-खटाना, भीड़-भाड़, धक्कम-धक्का, धमाधम आदि।

*** देशज :**

जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का कुछ भी पता नहीं चलता और जो बहुत समय से भाषा में प्रयुक्त होते रहे हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। प्राय: ऐसे शब्दों का उद्‌गम जन-प्रांगण से होता रहता है, जिनका निश्चित स्त्रोत ज्ञात नहीं हो पाता, व्यवहृत-भाषा के क्षेत्र में पैदा होने से ही उन्हें देशज कहा जाता है इन शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत की किसी धातु अथवा व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है, इन्हें लोकभाषा की उपज कहा जा सकता है क्योंकि ऐसे शब्दों की अधिकता लोकभाषा में ही पाई जाती है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं-

रोटी, रसिया, धोबी, भंगी, कंजर, धोती, जूता, लँगोटी, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, घपला, कबड्डी, टट्टू, टटिया, चज़्पत, भुर्ता, टीस, पेड़, डोर, सोटा, डिबिया, भेड़िया, साफा, साफी, गागर, रस्सा, तेन्दुआ, चिड़या, बजरबट्टू, कलाई, बियान, कटोरा-कटोरी, डोंगा, ढेंचा, गाढ़, परपटी, सिली, बूकना, ऐंठा-ठाकुर, मैंढा, डाब, बाबाजी, ढेंगुली, छोरा, छोरी, बाजरा, घाघरा, तरकारी, अढ़ैया, पौंचछा आदि।

*** विदेशज :**

जो शब्द विदेशी भाषा के होते हुए भी हिन्दी में समाहित होकर हिन्दी के ही होकर रह जाते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं इन्हें आगत अथवा गृहीत शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द अन्य देश की भाषा से आए हुए विदेशी मूल के शब्द हैं। हिन्दी में ऐसे बहुत से शब्द हैं, जो दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु वे विदेशी भाषा के होने पर भी स्वदेशी- जैसे ज्ञात होते हैं। इनमें निम्नलिखित विदेशी भाषाओं के सार्वाधिक भिन्न-भिन्न शब्द समाविष्ट हैं, जैसे-अरबी, फारसी, पश्तो, तुर्की, अँग्रेजी आदि।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-दो वाक्यों में दीजिए :

(1) शब्द किसे कहते हैं?

(2) शब्दों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है?

(3) अर्थ तत्सम शब्द क्या होते हैं?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार-पाँच वाक्यों में दीजिए :

(1) शब्द भंडार से क्या आशय है?

(2) हिंदी का शब्द भंडार किस तरह निर्मित है?

(3) देशज शब्द किन शब्दों को कहा जाता है?

योग्यता-विस्तार

(1) विद्यार्थी प्रवृत्ति: कुछ चुने हुए शब्दों की सूची बनाकर उनके अर्थ लिखिए।

(2) शिक्षक प्रवृत्ति: अपने विद्यालय के आस-पास की वस्तुओं, सरकारी मकानों, पेड़ों आदि के नामवाचक शब्दों की सूची विद्यार्थियों को बनाने को प्रेरित कीजिए।

व्याकरण : शब्द निर्माण

ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को 'शब्द' कहते हैं। शब्द अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं- एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रातिपदिक कहते हैं और दूसरा वह, जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बतानेवाले अंश को आगे-पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट सँवार लेता है। शब्दों की रचना (1) ध्वनि और (2) अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतन्त्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे- लड़की, आ, मैं, धीरे, परन्तु इत्यादि। अतः, शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक। किन्तु, व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्त्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों की अपेक्षा मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक। किन्तु, व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्त्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्त्व है, जो सार्थक हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता।

सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं- सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्द, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं।

भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया है। समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं। हिन्दी इस नियम का अपवाद नहीं है। संस्कृत के अनेक शब्द पालि, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिन्दी में आये हैं। इनमें कुछ शब्द तो ज्यों-के-त्यों अपने मूलरूप में हैं और कुछ देश-काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गये हैं।

उद्‌गम की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण

उद्‌गम की दृष्टि से शब्दों के चार भेद हैं-

1. तत्सम, 2. तद्‌भव, 3. देशज एवं, 4. विदेशी शब्द

तत्सम :

किसी भाषा के मूलशब्द को तत्सम कहते हैं। 'तत्सम' का अर्थ ही है- 'उसके समान' या 'ज्यों-का-त्यों' (तत्, तस्य = उसके - संस्कृत के, सम = समान)। यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है, जो अपभ्रंश से होते हुए हिन्दी में आये हैं।

तत्सम	हिन्दी	तत्सम	हिन्दी
आम्र	आम	गोमल, गोमय	गोबर
उष्ट्र	ऊँट	घोटक	घोड़ा
चुल्लिः	चूल्हा	शत	सौ
चतुष्पादिका	चौकी	सपत्नी	सौत
शलाका	सलाई	हरिद्रा	हल्दी, हरदी
चंचु	चोंच	पर्यक	पलंग
त्वरित	तुरत, तुरन्त	भक्त	भात
उद्धर्तन	उबटन	सूचि	सुई
खर्पर	खपरा, खप्पर	सक्तु	सत्त्
तिक्त	तीता	क्षीर	खीर

तद्भव :

ऐसे शब्द, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिन्दी में आये हैं, 'तद्भव' कहलाते हैं। तत् + भव का अर्थ है- उससे (संस्कृत से) उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिन्दी में आये हैं। इसके लिए इन्हें एक लम्बी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आये हैं, परन्तु कुछ शब्द देश-काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गये हैं कि उनके मूलरूप का पता नहीं चलता। फलतः तद्भव शब्द दो प्रकार के हैं- (1) संस्कृत से आनेवाले और (2) सीधे प्राकृत से आनेवाले। हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होनेवाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव हैं, जो संस्कृत-प्राकृत से होते हुए हिन्दी में आये हैं। हिन्दी में शब्दों के सरलतम रूप बनाये रखने का पुराना अभ्यास है। निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट हो जाएँगे -

संस्कृत	**प्राकृत**	**तद्भव हिन्दी**
अग्नि	अग्गि	आग
मया	मई	मैं
वत्स	वच्छ	बच्चा, बाछा
चतुर्दश	चोद्दश, चउद्दह	चौदह
पुष्प	पुष्फ	फूल
चतुर्थ	चउट्ठ, चउत्थ	चौथा

* **देशज :**

'देशज' वे शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। हेमचन्द्र ने उन शब्दों को 'देशी' कहा है, जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों के अनुसार न हो। लोकभाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है। जैसे- तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अण्डा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चसक, जूता, कलाई, फुनर्गी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, डोंगा, डाब इत्यादि। विदेशी विद्वान जॉन बोक्स ने देशज शब्दों को मुख्यरूप से अनार्यस्त्रोत से सम्बद्ध माना है।

* **विदेशी शब्द :**

विदेशी भाषाओं से हिन्दी-भाषा में आए शब्दों को 'विदेशी शब्द' कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अँगरेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएँ मुख्य हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिन्दी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है। हिन्दी में उनके कुछ हेर-फेर इस प्रकार हुए हैं-

1. क़, ख़, ग़, फ़ जैसे नुक्तेदार उच्चारण और लिखावट को हिन्दी में साधारणतया बेनुक्तेदार उच्चरित किया और लिखा जाता है। जैसे-क़ीमत (अरबी) - कीमत (हिन्दी), खूब (फारसी) - खूब (हिन्दी)/आगा (तुर्की) - आगा (हिन्दी), फैसला (अरबी) - फैसला (हिन्दी)।

2. शब्दों के अन्तिम विसर्ग की जगह हिन्दी में आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है। जैसे- आईन, और कमीनः (फारसी) - आईना और कमीना (हिन्दी), हैजः (अरबी) - हैजा (हिन्दी), चम्चः (तुर्की) - चमचा (हिन्दी)।

3. शब्दों के अन्तिम हकार की जगह हिन्दी में आकार की मात्रा कर दी जाती है। जैसे - अल्लाह (अरब) - अल्ला (हिन्दी)।

4. शब्दों के अन्तिम आकार की मात्रा को हिन्दी में हकार कर दिया जाता है। जैसे - परवा (फारसी) - परवाह (हिन्दी)।

5. शब्दों के अन्तिम अनुनासिक आकार को 'आन' कर दिया जाता है। जैसे- दुकाँ (फारसी) - दुकान (हिन्दी), ईमाँ (अरबी) - ईमान (हिन्दी)।

6. बीच के 'इ' को 'य' कर दिया जाता है। जैसे- काइद: (अरबी) - कायदा (हिन्दी)।

7. बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है। जैसे-नश्श: (अरबी) - नशा (हिन्दी)।

अँगरेजी शब्द

(अँगरेजी) तत्सम	तद्भव	(अँगरेजी) तत्सम	तद्भव
ऑफीसर	अफसर	थियेटर	थेटर, ठेठर
एंजिन	इंजन	टरपेण्टाइन	तारपीन
डॉक्टर	डाक्टर	माइल	मील
लैनटर्न	लालटेन	बॉटल	बोतल
स्लेट	सिलेट	कैप्टेन	कप्तान
हॉस्पिटल	अस्पताल	टिकिट	टिकट

इनके अतिरिक्त, हिन्दी में अंगरेजी के कुछ तत्सम शब्द ज्यों-के-त्यों प्रयुक्त होते हैं। इनके उच्चारण में प्राय: कोई भेद नहीं रह गया है। जैसे- अपील, आर्डर, इंच, इण्टर, इयरिंग, एजेन्सी, कम्पनी, कमीशन, कमिश्नर, कैम्प, ग्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, काउन्सिल, गार्ड, गजट, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ड्राइवर, पेन्सिल, फाउण्टेन पेन, नम्बर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, दिसम्बर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, प्रेस, फ्रेम, मीटिंग, कोर्ट, होल्डर, कॉलर इत्यादि।

पुर्तगाली शब्द

हिन्दी	पुर्तगाली
अलकतरा	Acatrao
अनन्नास	Annanas
आलपीन	Alfinete
आलमारी	Almario
बाल्टी	Balde
किरानी	Carrane
चाबी	Chave
फीता	Fita
तम्बाकू	Tobacco

इस तरह, आया, इस्पात, इस्तिरी, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, क्रिस्तान, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, फर्मा, बुताम, मस्तूल, मेज, लबादा, साया, सागू आदि पुर्तगामी तत्सम के तद्भव रूप भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं।

ऊपर जिन शब्दों की सूची दी गयी है उनसे यह स्पष्ट है कि हिन्दी भाषा में विदेशी शब्दों की कमी नहीं है। ये शब्द हमारी भाषा में दूध-पानी की तरह मिले हैं। निस्सन्देह, इनसे हमारी भाषा समृद्ध हुई है।

शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नये शब्द बनाने की प्रक्रिया को 'व्युत्पत्ति' कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खण्ड को 'शब्दांश' कहते हैं। जैसे- 'राम' में शब्द के दो खण्ड हैं- 'रा' और 'म'। इन अलग-अलग अर्थ है। इस प्रकार, व्युत्पत्ति अथवा बनावट के विचार से शब्द के तीन प्रकार हैं- 1. रूढ़, 2. यौगिक और 3. योगरूढ़।

रूढ़ शब्द :

जिन शब्दों के खण्ड सार्थक न हों, उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे- नाक, कान, पीला, झट, पर। यहाँ प्रत्येक शब्द के खण्ड - जैसे, 'ना' और 'क', 'का' और 'न'- अर्थहीन हैं।

यौगिक शब्द :

ऐसे शब्द, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खण्ड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे- आग-बबूला, पीला-पन, दूध-वाला, छल-छन्द, घुड़-सवार इत्यादि। यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खण्ड हैं और दोनों खण्ड सार्थक हैं।

योगरूढ़ शब्द :

ऐसे शब्द, जो यौगिक तो होते हैं, पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परम्परा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। मतलब यह कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगें, तब वे 'योगरूढ़' कहलाते हैं, जैसे- लम्बोदर, पंकज, चक्रपाणि, जलज इत्यादि। पंक+ज अर्थ हैं 'कीचड़' से (में) उत्पन्न, पर इससे केवल 'कमल' का अर्थ लिया जायेगा, अत: 'पंकज' योगरूढ़ है। इसी तरह, अन्य शब्दों को भी समझना चाहिए।

यौगिक शब्दों की रचना दो प्रकार से होती हैं- शब्दांश के मेल से और शब्दों के मेल से। शब्दांश दो प्रकार के होते हैं- उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वह शब्दांश है, जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, जैसे- प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इनमें क्रमश: 'प्र', 'अभि', 'वि' और 'उप' उपसर्ग हैं।

प्रत्यय वह शब्दांश है, जो किसी शब्द के अन्त में जोड़ा जाता है, जैसे- उठान, बनावट, टिकाऊ आदि में 'आन', 'आवट', 'ऊ' प्रत्यय लगे हैं।

इसके अतिरिक्त शब्द-रचना तीन प्रकार से होती है- (क) सन्धि, (ख) समास और (ग) द्विरुक्ति।

मूलशब्द, उपसर्ग और प्रत्यय :

रूढ़ शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे- नाक, कान, मुँह, पेट इत्यादि। इन शब्दों के खण्ड सार्थक नहीं होते। अत: ये मूल हैं।

(ख) अर्थ के आधार पर शब्द-भेद- अर्थ के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए गए हैं-

1. वाचक - अभिधार्थ
2. लक्षक - लक्ष्यार्थ
3. व्यंजक - व्यंग्यार्थ

वाचक-शब्द : जिन शब्दों का अर्थ सीधे एवं साधरण रूप से ग्रहण किया जाता है, उन्हें वाचक या अभिधार्थ कहा जाता है, किसी, भाव, विचार, वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के लिए प्रत्येक भाषा-भाषी समान संकेत निहित कर देता है, जो शब्द जिस संकेत का बोध कराता है, वह उसी का वाचक कहा जाता है, वाचक शब्द, जो अर्थ देगा वह वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ अथवा अभिधार्थ कहलाएगा, जैसे-फूल, पेड़, बन्दर, आदमी।

लक्षक-शब्द-जिन शब्दों का अर्थ मुख्यार्थ के समानार्थ सम्बन्धित अर्थ को ग्रहण किया जाता है, वहाँ लाक्षणिक अर्थ कहा जाता है, जैसे अन्धे व्यक्ति के लिए धृतराष्ट्र अथवा सूरदास कहना, उल्लू, गधा आदि का प्रयोग मूर्खता के लिए करना तथा अष्टावक्र, अनेकांग भंग विद्वान हेतु।

व्यंजक-शब्द - जिन शब्दों का अर्थ न तो मुख्य शब्द ही ग्रहण किया जाता है और न ही सम्बन्धित लाक्षणिक अर्थ, बल्कि जिनसे किसी अन्य ही सांकेतिक अर्थ का आभास मात्र मिलता हो, उन्हें व्यंग्यार्थ कहते हैं। अधिकतर व्यंग्यार्थ का प्रयोग काव्य-भाषा में होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की मूर्खता के लिए उससे- 'आप बहुत समझदार हैं', कहकर मूर्ख कहें।

(ग) व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद - एक शब्द से अन्य शब्द बनाने की प्रक्रिया व्युत्पत्ति कहलाती है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है।

(1) रूढ़ (2) यौगिक तथा (3) योगरूढ़

रूढ़-शब्द-जिन शब्दों के खण्ड करने पर कोई भी खण्ड सार्थक न हो, किन्तु उसका यौगिक रूप ही अर्थयुक्त हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे-आम, केला, दाना आदि, इसमें आ +म खण्ड करने पर आ तथा म का पृथक्-पृथक् कोई अर्थ नहीं है, बल्कि इनका यौगिक रूप आम निश्चित-फल के लिए प्रतीकार्थ में रूढ़

हो गया है। इसलिए आम शब्द रूढ़ है। इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी देखा जा सकता है।

यौगिक-शब्द-यौगिक शब्द वे होते हैं, जो दूसरे शब्दों के योग से बनकर अपना पृथक् अर्थ प्रतिपादित करते हैं, उन्हें विभाजित करके अर्थ करने पर भी वे वही अर्थ देते हैं। जैसे-गौशाला, विद्यालय, पाठशाला, धर्मशाला, प्रयोगशाला, विद्यार्थी, महादेव, बालहठ, नालायक, छलछन्द, आगबबूला, घोड़ागाड़ी आदि व्याकरण में यौगिक-शब्दों की रचना संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय आदि से होती है।

योगरूढ़- जो शब्द यौगिक शब्दों के समान रहते हुए भी अपने निश्चित-अर्थ को ही ग्रहण करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है, जैसे- पंकज का अर्थ पंक + ज - कमल, पंक में जन्म लेने वाला - पंकज। वैसे तर्क के लिए पंक में अनेक वस्तुएँ पैदा होती हैं, किन्तु पंकज शब्द कमल के लिए ही बोला जाता है। पंक+ज से उसका यौगिक रूप तो स्पष्ट ही है। इसी प्रकार जलज, नीरज, जलद, पीताम्बर, दिगम्बर, गोपाल, गणेश, गिरधारी, लम्बोदर, मृगया, पयोधर, आदि भी शब्द योगरूढ़ शब्द हैं।

(घ) व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्द-भेद- वैसे रूप के आधार पर 2 भेद हैं- विकारी, अविकारी।

विकारी-इस वर्ग में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि शब्द आते हैं।

संज्ञा-कोई भी नाम संज्ञा होता हैं, संज्ञाएँ बहुरूपात्मक होती हैं, जो वचन एवं कारक से बदल जाती हैं। संज्ञाएँ प्राय: उद्देश्य एवं कर्म के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होती हैं।

सर्वनाम-संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जो विकारी, अविकारी दोनों ही रूपों में मिलते हैं, सर्वनामों के रूप भी बदलते हैं, जिनका आधार लिंग, वचन तथा कारक होते हैं।

विशेषण-संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण होते हैं, प्राय: विशेषण के उसके विशेष्य के अनुसार रूप बदलते हैं।

क्रिया-क्रिया शब्द करने अथवा होने को प्रकट करता है। पुरुष, वचन, लिंग, काल, प्रकार अथवा अवस्था वाच्य के अनुसार क्रियाएँ रूप बदलती हैं। क्रिया के पुरुष अनियत रूप में मिलते हैं।

इन भागों के अतिरिक्त अर्थों के अनुसार शब्दों को मूलरूप से अन्य खण्डों में भी विभाजित किया जा सकता है, यथा-

1. एकार्थी, 2. बहुअर्थी, 3. समानार्थी, 4. विलोमार्थी, 5. ध्वनिप्रधान, 6. युग्म तथा अन्य विविध।

एकार्थी- एकार्थी में शहर, मनुष्य, वस्तु के निश्चित नाम आते हैं, यथा-राम, घनश्याम, मथुरा, मुम्बई, पानी, दूध, शराब, भारत, अमरीका, हिमालय, गंगा आदि।

बहु-अर्थी (अनेकार्थी)- इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ ही प्रकट नहीं होते किन्तु वाक्यानुसार वे अपने उपयुक्त अर्थ प्रकट करते हैं, यथा-कनक, हरि, हंस, मुफ्त, पयोधर, दण्ड, पद, हरि, वर, हल, पत्र, व्याज, मित्र, रस, फल, पानी, वारिस, सांरग आदि।

समानार्थी- इन शब्दों में एक जैसे अर्थों के अनेक शब्दों को ग्रहण किया जाता है, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इनमें एक ही अर्थ के लिए जब एक से अनेक शब्द प्राप्त होते हैं, तो वे सभी समान अर्थ रखने के कारण पर्यायवाची कहे जाते हैं। एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग भी हो सकता है, किन्तु इस प्रकार के प्रयोग काव्यभाषा में सम्भव नहीं। इससे छन्दभंग तथा अर्थभंग की सम्भावना रहती है जैसे- नयन, नेत्र, आँख, चक्षु तथा कमल पंकज, जलज, नीरज आदि।

विलोमार्थी : जहाँ एक शब्द के विपरीत अर्थ में दूसरे शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ विलोमार्थ कहा जाता है जैसे- अच्छा > बुरा, पाप > पुण्य, ऊँच > नीच आदि।

ध्वन्यार्थी : ध्वनि प्रधान शब्दों में ऐसे शब्द आते हैं, जिनका ध्वन्यात्मक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, इसमें शब्द से निस्सृत ध्वनि में अर्थ संगति प्राप्त होती है। जैसा-भिनभिनाना, फाड़ना, सुरसुराना, थूकना, भोंकना, छीकना, खांसना, चिल्लाना, फटकारना, खटखटाना आदि।

शब्द-युग्म - इस प्रकार के शब्द सदैव दो शब्दों के योग से बनते हैं। इसमें एक शब्द के साथ लगा हुआ दूसरा शब्द प्रयोगाधिक्य के कारण इतना प्रचलित हो जाता है कि उसे उसके साथ वाले शब्द से पृथक्

नहीं किया जा सकता, यथा- 'झकझोर' इसमें न तो 'झक' का ही कुछ स्वतन्त्र अर्थ है और न ही 'झोर' का, किन्तु झकझोर का अर्थ है, किसी वस्तु को पकड़ कर जोर से हिला देना, इसी प्रकार बकवास, सरपट, गुमसुम आदि।

युग्म का दूसरा स्वरूप समान रूप वाले, किन्तु किंचित् भिन्न शब्दों के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यथा- कोड़ी > कौड़ी, खोलना > खौलना, ओर > और, मुख > मुख्य, आचार > आचार्य, कर्म > क्रम, गृह > ग्रह आदि। इस प्रकार के कुछ समान-से शब्दों में थोड़े-से अन्तर से ही अर्थ में परिवर्तन आ जाता है।

कुछ इस प्रकार के शब्द आते हैं, जो अपने समूह को इंगित करते हैं, यथा-सेना, जुलूस, जत्था, भीड़, खनिज आदि।

कुछ शब्द पुनरुक्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें पुनरुक्त शब्द कहा जाता है, यथा- बार-बार, घर-घर, द्वार-द्वार, बाल-बाल, बच्चा-बच्चा, ईंट-ईंट आदि।

संकर शब्द - हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऊपर वर्णित किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं तथा दो या दो से अधिक शब्दों एवं भाषाओं से निर्मित होते हैं, ये शब्द संकर/द्विज शब्द कहलाते हैं, जैसे-रेलगाड़ी (अँग्रेजी + हिन्दी), डाकखाना (हिन्दी + फारसी), राजमहल (हिन्दी + अरबी), दलबन्दी (संस्कृत + फारसी), तालाबन्दी (हिन्दी + फारसी), पाव रोटी (पुर्त. + हिन्दी), फूलदान (हिन्दी + फारसी) आदि।

रचना के आधार पर : पिछले पृष्ठों पर कहा जा चुका है कि शब्दों का गठन व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़, तीन आधारों पर किया जाता है। यहाँ यौगिक रूप पर विचार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय द्वारा होती है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-दो वाक्यों में दीजिए :

(1) तत्सम शब्द किसे कहते हैं?

(2) तद्भव शब्द किसे कहते हैं?

(3) यौगिक शब्द किसे कहते हैं?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार-पाँच वाक्यों में दीजिए :

(1) शब्द भेद का अर्थ बताइए?

(2) संज्ञा किसे कहते हैं?

(3) संकर शब्द किसे कहते हैं?

योग्यता-विस्तार

(1) विद्यार्थी प्रवृत्तिः तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों की सूची बनाकर उनके अर्थ लिखिए।

(2) शिक्षक प्रवृत्तिः शब्द भेद की जानकारी वाक्य-प्रयोग के साथ विद्यार्थियों को दें।